कार फ्री डे: पर्यावरण के नाम पर प्रशासनिक नौटंकी

चण्डीगढ़ में खट्टर का साइकिल ड्रामा

फरीदाबाद में डीसी का भी यही काम

सैक्टर-12, फरीदाबाद के साइकिल ट्रैक पर लगी चाय की दुकान

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद। 22 सितम्बर को कार फ्री डे मनाया गया। इस दिन तमाम लोगों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने-अपने काम पर कार की बजाय साइकिल या पैदल आयें-जायेंगे। करोड़ों रुपये के विज्ञापन प्रकाशित कर के जनता को समझाने का प्रयास किया गया कि इस के द्वारा वायु प्रदूषण घटेगा। अगले दिन के अखबारों में मुख्यमंत्री खट्टर व उनके मंत्रियों-संत्रियों को साइकिल पर अपने दफ्तर जाते दिखाया। ज़िला स्तर पर डीसी व अन्य अफ़सरों को भी साइकलिंग करते दिखाया गया।

दरअसल यह सब कुछ एक नौटंकी से बढ कर कुछ भी नहीं था। उक्त वीआईपियों की साइकलिंग शोभा यात्रा आम जनता पर भारी पड़ रही थी। साइकलिंग के रास्तों पर पुलिस का अच्छा-खासा बन्दोबस्त किया गया था जिससे आम लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधा हुई। बाकि अफ़सरों का तो पता नहीं लेकिन खट्टर जी शाम को दफ्तर से घर साइकिल पर नहीं आ पाये। लगता है कि वे दो-ढाई किलोमीटर की साइकलिंग करने से काफ़ी थक गये होंगे।

न केवल पर्यावरण की रक्षा के लिये बल्कि अपनी जेब रक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिये भी पैदल व साइकिल पर चलना बहुत लाभकारी है। परंतु यह सब साल में एक बार नौटंकी की तरह क्यों किया जाय? हर रोज़ ही ऐसा क्यों न किया जाय? इस तरह की नौटंकी करने वाले शासन-प्रशासन से '**मज़दूर मोर्चा**' पूछता है कि हरियाणा के कौनसे शहर में पैदल चलने वालें के लिये फुटपाथ व साइकिल चालकों के लिये साइकिल ट्रैक बनाये गये हैं? एक भी शहर में नहीं। इसके चलते वाहनों की चपेट में आकर अनेकों पैदल व साइकिल पर चलने वाले घातक दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। लेकिन शासन-प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

हां, साइकिल ट्रैक बनाने के नाम पर तरह-तरह की ड्रामेबाजियां अक्सर होती रहती हैं। ऐसी ही एक ड्रामेबाज़ी फ़रीदाबाद में मौजूद है। यहां के उपायुक्त महोदय को यदि कभी फुर्सत मिले तो वे इसे अपने दफ्तर के बगल में ही देख सकते हैं। करीब तीन-चार साल पहले बाटा मोड़ से बाईपास की ओर जाने वाली सड़क जिसकी एक ओर सेक्टर 11 व दूसरी ओर सेक्टर 12 स्थित हैं, के किनारे पर 20 लाख रुपये की लागत से एक साइकिल ट्रैक बनाया गया था। उपायुक्त महोदय जरा उस ट्रैक पर साइकिल चलाकर दिखायें तो उन्हें मान जायेंगे। नियम यह है कि जब भी कोई सड़क बने तो उसके किनारे फुटपाथ व साइकिल ट्रैक बनाया जाय, जिस पर कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

पूरे शहर में फुटपाथ व साइकिल ट्रैक बनाने की पर्याप्त जगह होने के बावजूद ये दोनों नदारद हैं। इन स्थानों पर प्रशासन की शह पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। अजरोंदा मैट्रो स्टेशन से, अजरोंदा चौक तक चलने का अनुभव यदि उपायुक्त महोदय एक बार कर लें तो उन्हें बखूबी समझ आ जायेगा कि सड़क किनारे पैदल चलना कितना दूभर है। शहर में बने तीन अंडरपास जब पानी से भर जाते हैं तो पैदल व साइकिल सवार क्या करेंगे?

शहर में आज भी इस संवाददाता जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने आवागमन के लिये साइकिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, परंतु इसे सुरक्षित न समझ कर चौपहिया वाहन प्रयोग करना पड़ता है।

75 साल में सरकारी सेवाओं का हो गया सत्यानाश, बनाना पड़ा आरटीएस आयोग : कितना सफल?

फ़रीदाबाद (म.मो.) सन् 1947 में मिली तथाकथित आज़ादी के बाद धीरे-धीरे नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं को पाना कठिन से कठिनतर होता चला गया है। नौबत यहां तक आ गयी कि नागरिकों को अपने कामों के लिये सम्बन्धित विभाग के एक बाबू से लेकर दूसरे बाबू तक चक्कर लगा कर उनकी भेंट-पूजा कर के अपने काम निकलवाने पड़ते हैं। सरकारी बाबू किसी का कोई काम ऐसे करते हैं जैसे वे उस पर एहसान करते हों। छोटे से छोटे काम के लिये लोग़ों को महीनों बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब चुके अपने छोटे-बड़े बाबुओं की नकेल कसने में असमर्थ सरकार ने करीब 8-10 वर्ष पूर्व राइट टू सर्विस आयोग का गठन कर दिया। यानी जो बाबू एक निश्चित समयावधि में काम को न निपटाये तो उसके विरुद्ध इस आयोग में शिकायत दायर की जाय। यह आयोग शिकायत की जांच करके सम्बन्धित बाबुओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। आयोग में अफ़सरों की नियुक्तियां हो गयीं, काम करने के नियम भी बन गये लेकिन किसी भी सरकारी कार्यालय के काम-काज में कोई सुधार नहीं हुआ। और तो और अधिकतर जनता को यह भी पता न चला कि इस तरह का कोई आयोग भी है। परंतु तीन माह पूर्व इस आयोग के आयुक्त के तौर पर टीसी गुप्ता तैनात हुए हैं, इस आयोग की गतिविधियां सामने आने लगी हैं। आम जनता को जागरूक करने तथा विभागीय अधिकारियों को चेतावनी

टीसी गुप्ता
चेयरमैन,
आरटीएस

देने के लिये टीसी गुप्ता ने 20 सितम्बर को यहां एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके द्वारा उन्होंने जहां लोग़ों को उनके अधिकारों और आयोग के महत्व के बारे में बताया वहीं विभागीय अफ़सरों को चेताया, या तो वे सुधर जायें वरना दंडात्मक कार्यवाही के लिये तैयार रहें।

इसके विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियन ने एक विशेष बैठक करके इस आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी बताया। यानी यूनियन चाहती है कि वे लोगों के काम भी न करें और कोई उनकी खबर भी न ले। संदर्भवश इस संवाददाता ने खुद अपने सेक्टर 14 स्थित घर के लिये सोलर पावर वाले एक मीटर के लिये आवेदन किया था। करीब एक माह चक्कर कटाने के बाद बड़ी मुश्किल से वह मीटर लगा। इसकी शिकायत जब आरटीएस में की गयी तो सम्बन्धित एसडीओ को पसीने आने लगे। आयोग द्वारा एसई से रिपोर्ट मांगी गयी तो उसमें एसडीओ को दोषी ठहराया गया। अब देखना है कि एसडीओ को आयोग से क्या प्रसाद मिलता है।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि हर महकमे में अफ़सर के ऊपर बड़ा अफ़सर बैठा है। क्या बेईमान व कामचोर अफ़सर की खींचाई ऊपर वाला अफ़सर नहीं कर सकता?

किसी जमाने में ऊपर वाले अफ़सर किया भी करते थे परन्तु धीरे-धीरे वे भी नाकारा और बेईमान अफ़सरों के साझेदार होते चले गये। ऐसे में इस तरह के आयोग की जरूरत महसूस होने लगी। परन्तु देखने वाली बात यह है कि आयोग में भी तो उसी अफ़सरशाही के लोग तैनात होंगे जब वे भी भ्रष्टाचार में साझेदार हो जायेंगे तो क्या होगा?

खबर मरम्मत

– जुम्मन मियां पंक्चर वाले

पहले निजीकरण और फ़िर सरकारीकरण

टेलीफ़ोन कंपनी वोडाफ़ोन-आइडिया (वी.आई)ने पिछले महीने गुहार लगाई थी कि अगर सरकार ने उसकी मदद नहीं की तो वह अपने बैंक लोन की किश्त नही चुका पायेगी और डिफाल्टर हो जायेगी। लिहाजा सरकार ने उस द्वारा देय स्पेक्ट्रम फ़ीस और ऐजीआर फ़ीस को सन् 2026 तक टाल दिया है। बताया जाता है कि 2026 में इस कंपनी की सरकार को इस मद में देनदारी 330 अरब रुपये हो जायेगी। अभी कंपनी को बैंक लोन और सरकारी लाइसेंस किश्त मिलाकर लगभग 16000 करोड़ रुपया देना है। जानकारों का कहना है कि कंपनी द्वारा इतनी राशि न चुका पाने की स्थिति में सरकार उससे इतने रुपये के शेयर ले लेगी और इस तरह कम्पनी में सरकारी हिस्सा आधे से ज्यादा हो जायेगा।

पहले तो फ़ायदे में चल रही सरकारी कम्पनियों को औने पौने दोमों में प्राइवेट को बेच दो और फ़िर वो घाटे में चलें जायें तो घुमा-फिरा कर, बहाने बना कर उन्हें फ़िर सरकार खरीद ले। बता दें कि सरकार के टेलिफ़ोन विभाग का निजीकरण करने के कारण बीजेपी की वाजपेयी सरकार के समय में प्राइवेट कंपनियां अस्तित्व में आयी थीं जो अब फ़िर सरकारी होना चाहती हैं। क्या अब भी 'बीएसएनएल' के प्राइवेटाइजेशन को कोई सही ठहरा सकता है?

मोदी जी के वादे की पहली किश्त आयी पर पुलिस ने किया गिरफ़्तार

बिहार के खगड़िया ज़िले के बख्तियारपुर गांव के रंजीत दास के खाते में बिहार ग्रामीण बैंक ने साढे पांच लाख रुपये खुद ही डाल दिये और फ़िर उनसे उसे वापिस करने के लिये नोटिस देने लगे। रंजीत दास जी ने भी बैंक को खरा जवाब दे दिया कि ये पैसे तो मोदी जी के पन्द्रह लाख के वादे की पहली किश्त है और इसलिये वो उन्हें वापिस नहीं करेंगे। पर बेशर्म बैंक ने देश के प्रधानमंत्री के वादे का कोई लिहाज नहीं किया और दास साहब को जेल भिजवा दिया।

पर जेल जाने से पहले दास साहब प्रधानमंत्री के वादे का विश्वास करके उन साढे पांच लाख रुपये में से एक लाख साठ हजार नौ सो सत्तर रुपये खर्च कर चुके थे। हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक रामचन्द्र जी ने तो नारा दिया था-'प्राण जाय पर वचन न जाई' पर उनके अनुयायी मोदी जी को अपने वचन की जरा भी चिन्ता नहीं। कि उनके वचन पर विश्वास करके कोई जेल जा रहा है। उधर कटिहार ज़िले के दो छात्रों के खातों में भी बिहार ग्राणीण बैंक ने 900 करोड़ और 60 करोड़ रुपये डाल दिये थे। शायद मोदी जी के वादे की पूरे गांव की किश्त उन्हीं के खाते में आ गयी थी।

बिल्ली को बनाया दूध की रूखाली

हरियाणा सरकार ने 1990-91 के निर्देशों को फ़िर से जारी करते हुये सख्त आदेश दिये हैं कि डी.सी. ज़िला स्तर पर विजिलेंस कमेटियों का गठन करे। इस कमेटी के मुखिया एडीसी या एसडीएम होंगे और एक डीएसपी इसका सदस्य होगा। कमेटी सभी कामों और विभागों का ओचक निरीक्षण कर सकेगी व छापे भी मारेगी। कमेटी डीसी को रिपोर्ट करेगी जो नियमित रूप से ऊपर रिपोर्ट भेजते रहेंगे।

सरकार जी के ये पावर तो सभी जिलाधिकारियों या विभागाध्यक्षों के पास पहले से ही थी बल्कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के निकम्मेपन या भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये अधिकृत भी हैं और जिम्मेदार भी। सवाल तो यह है कि ज़िलों में बैठे इन डाकुओं को कौन पकड़ेगा और इनसे ऊपर बैठे सिर्फ निर्देश देकर अपने को पाक-साफ़ घोषित करने वालों पर नकेल कौन कसेगा। ये तो बड़ी बिल्ली द्वारा छोटी बिल्ली को दूध की रखवाली करने का जिम्मा सौंपने जैसे है, सिर्फ घोषणाओं से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता।

अन्तिम मिसरा

नारा डिजिटल भारत का, फोटो छपवा रहे फाइलें पढ़ने की।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06